अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

# बिहार सरकार
## सहकारिता विभाग

पत्रांक.........................../पटना, दिनांक...............................
07/सह० (कार्यशाला)–04/2023

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– **दिनांक 22.09.2023 से 24.09.2023 को राज्य आनंद संस्थान, भोपाल, मध्यप्रदेश के सहयोग से आयोजित अल्पविराम कार्यशाला हेतु विभाग के पदाधिकारियों के ठहरने के लिए 03(तीन) सुईट रूम का आरक्षण शुल्क कुल राशि रू० 15,930/–(पंद्रह हजार नौ सौ तीस) रूपये मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत**

सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के लिए राज्य आनंद संस्थान, भोपाल, म०प्र० के सहयोग से दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में दिनांक 22.09.2023 से 24.09.2023 को आयोजित अल्पविराम कार्यक्रम/कार्यशाला में 03(तीन) सुईट रूम का आरक्षण शुल्क कुल राशि रू० 15,930/–(पंद्रह हजार नौ सौ तीस) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष–2025–26 में संसूचित की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–09, राज्य योजना मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष–0101–सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड–09–2425001050101 विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से करेंगे। आहरित की गई राशि को NEFT/RTGS के माध्यम से दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के STATE BANK OF INDIA खाता संख्या–41253098401, आई०एफ०एस०सी० कोड–SBIN0018815 में जमा करेंगे, इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–07/सह० (कार्यशाला)–04/2023 पर पृष्ठ संख्या–36/टि० दिनांक–09.10.2025 को दी गई है।

8. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–07/सह० (कार्यशाला)–04/2023 पर पृष्ठ संख्या–39./टि० दिनांक–14.10.2025 को दी गई है।

ह0/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\Sec 07 swe\Saction order Dasrath manjhi.docx

ज्ञापांक 399 / पटना, दिनांक 15/10/25
07 / सह० (कार्यशाला)–04 / 2023

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / सहायक प्रशासी पदाधिकारी, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को विपत्र की प्रति के साथ / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 / आई० टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

14.x.25

सरकार के अपर सचिव।

14.10.2025

C:\Users\HP\Desktop\Sec 07 swe\Sanction order Dasrath manjhi.docx